*प्रेस नोट* *जनपद संकबीरनगर* *दिनाँक 16.07.2026*

***साइबर क्राइम के साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 3000 रु0 की धनराशि***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु ***साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद*** टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के खाते से फ्राड बैंक खाते में स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा किया गया था। उक्त आवेदक का 3000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-*** श्री रंजित पुत्र रामलखन निवासी गुलरिहा मिश्रौलिया, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर का दिनाँक 20.10.2025 को आवेदक का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन हैक करके आवेदक के बैक खाते से फ्राड बैंक खाते में धनराशी स्थानांतरित कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद मे शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत किया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 3000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया।

***साइबर सेल टीम:-*** प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा,म0का0 शिवांगी सिंह, रि0का0 अनुज शुक्ला,रि0का0 ऋतिक वर्मा।

***अपील-*** जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

## *थाना मेहदावल पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर अदला-बदली हुई मोटरसाइकिल बरामद, वास्तविक स्वामियों को किया गया सुपुर्द*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के मार्गदर्शन में सर्विलांस सेल प्रभारी श्री अजय कुमार सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक मेहदावल श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मेहदावल पुलिस ने तत्परता एवं तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर अदला-बदली हुई मोटरसाइकिल को बरामद कर उसके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द कर दिया।

दिनांक 16.07.2026 को थाना मेहदावल पर परम हंस सिंह (होमगार्ड) पुत्र रामदुलारे सिंह, निवासी ग्राम सरफरा थाना मेहदावल, जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि वह अपनी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP58 AE 8879) से मेहदावल आए थे कुछ कार्य करने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल रोडवेज पर चाय की दुकान के पास खड़ी कर दी। वापस लौटने पर उनकी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली।

सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना मेहदावल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल के सहयोग से आसपास के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य माध्यमों से जांच की। जांच के दौरान पता चला कि राजकुमार यादव पुत्र टीमल यादव निवासी ग्राम कुनवार थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, अपनी मोटरसाइकिल समझकर गलती से परम हंस सिंह की मोटरसाइकिल लेकर चले गए थे, जिससे दोनों वाहनों की अदला-बदली हो गई थी।

***दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 01. रामअजोर पुत्र रामबृक्ष निवासी वेलवा ठकुराई थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर 02. सुरेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी वेलवा ठकुराई थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 राजेश कुमार दूबे, का0 संतोष चौहान, रि0का0 अजीत कुमार।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी अभियुक्त 01. मेहताब आलम पुत्र नवाब अली निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. रामकिशुन पुत्र लाल साहनी निवासी कोल्हुआ लकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार।

***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र राम उजागिर निवासी लोहरौली ठकुराई थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, हे0 का0 राजेश प्रसाद।

***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी अभियुक्त अंकित चौधरी पुत्र शिवशंकर चौधरी साकिन ब्राहिलपार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनोद मौर्या।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ मिट्ठू पुत्र रामू साकिन डिहवा बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, का0 मनोज यादव, का0 शरद कुमार राय।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार***

*थाना कोतवाली खलीलाबबाद पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
*थाना मेहदावल पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
*थाना बखिरा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
*थाना धर्मसिंहवा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 6893 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत अशर्फी धर्मधाला बनियाबारी से कालर मोटरसाइकिल और साइकिल के टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्ति (1.हर्ष वर्मा पुत्र महन्थ वर्मा ग्राम हरिहरपुर थाना महुली 2.कैलाश नाथ पुत्र कतवारू पाठक ग्राम खिरिया थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-*** मु0आ0 बृजेश यादव, का0 प्रिन्स यादव, हो0गा0चा0 अनिल पाण्डेय।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 373 वाहनों से 4,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 16.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 373 वाहनों से 4,43,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।